an>

Title: Need to amend the Prevention of Insults of National Honour Act, 1971 to restrict the display of National Flag in the electoral symbol by political parties.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई-उत्तर) ः भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना पिंगली वैंकैयानन्द जी ने की थी और इसे इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई, 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया, जो 15 अगस्त, 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गयी थी। इसे 15 अगस्त, 1947 और 26 जनवरी, 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात् भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। हमारे देश में ""तिरंगे"" का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से है।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज देश के नागरिकों की आशाएं और आकांक्षाए दर्शाता है। यह न केवल हमारे राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है, बल्कि देश की प्रतिष्ठा और सम्मान का भी प्रतीक है। पिछले 6 दशकों से भी अधिक समय में सशस्त्र सेना बलों के सदस्यों सहित अनेक नागरिकों ने तिरंगे की पूरी शान को बनाए रखने के लिए निरंतर अपने जीवन न्यौछावर किए हैं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज सम्पूर्ण देशवासियों की आशा और अभिलाषा का परिचायक है। अतः यह आवश्यक है कि देश के किसी भी क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के राजनैतिक दल के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय झंडे के मध्य में अथवा कहीं भी अपना चुनाव चिन्ह प्रदर्शित करके उसका निजी उपयोग न किया जाए।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण, 1971 में संशोधन किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए ताकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक गौरव बरकरार बना रहे।